

राजस्थान सरकार
वित्त विभाग
(सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम अनुभाग)

क्रमांक : प.1(2)वित्त / साविलेनि / 2005

जयपुर, दिनांक : 13.03.2019

आदेश


विषय : सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों के खंड- I के भाग-I में संशोधन

राज्यपाल महोदय सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों के खंड- I के भाग-I में निम्न प्रकार संशोधन करने के आदेश एतद्वारा प्रदान करते हैं:-

At the end of Rule 54(2) of GF&AR Part-I, the following expression shall be inserted namely :

"but Tender fees (0075-800-52-01/Receipt Head of concerned department), Bid security (8443-103, 108, 109) and RISL Processing fees (8658) shall be deposited in a single challan."

आज्ञा से,



(आशुतोष वाजपेयी)
शासन संयुक्त सचिव

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ, आवश्यक कार्यवाही एवं अपने अधीनस्थ कार्यालयों को सूचित करने हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, राज्यपाल / मुख्यमंत्री / समस्त मंत्रीगण / राज्य मंत्रीगण ।
2. निजी सचिव, मुख्य सचिव / अति. मुख्य सचिव / समस्त प्रमुख शासन सचिव / समस्त शासन सचिव / समस्त विशिष्ट शासन सचिव ।
3. सचिव, राजस्थान विधान सभा, राजस्थान, जयपुर ।
4. सचिव, लोकायुक्त सचिवालय, राजस्थान, जयपुर ।
5. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर ।
6. समस्त संयुक्त / उप शासन सचिव / सचिवालय के समस्त अनुभाग / विभाग ।
7. प्रधान महालेखाकार (सिविल लेखा परीक्षा) राजस्थान, जयपुर ।
8. महालेखाकार (प्राप्ति एवं वाणिज्यिक लेखा परीक्षा) / (ए एण्ड ई) राजस्थान, जयपुर ।
9. समस्त विभागाध्यक्ष / जिला कलक्टर / संभागीय आयुक्त ।
10. निदेशक, कोष एवं लेखा विभाग, राजस्थान, जयपुर ।
11. पंजीयक, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर / जयपुर ।
12. समस्त कोषाधिकारी ।
13. कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग (कोडीफिकेशन) अतिरिक्त प्रति सहित ।
14. पंजीयक, राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर ।
15. विधि रचना संगठन को भेजकर लेख है कि इस आदेश का हिन्दी अनुवाद करवाकर इस विभाग को अविलम्ब भिजवायें ताकि हिन्दी अनुवाद प्रेषित किया जा सके ।
16. तकनीकी निदेशक, वित्त विभाग कृपया इस आदेश को वित्त विभाग की वेबसाइट पर प्रकाशित करावें।



(हरीश लड्डा)
मुख्य लेखाधिकारी

(GF&AR -04/2019)